

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं.2010/टेली/11(2)/2

नई दिल्ली, दिनांक 29/09/2014

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें

विषय:- गाड़ियों का मार्गरक्षण करने वाले रेलवे सुरक्षा बल के लिए सीयूजी मोबाइल फोन का प्रावधान।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 07.06.2006 का पत्र सं. 2004/टेली/टीएन/3

(ii) बोर्ड का दिनांक 27.07.2007 का पत्र सं. 2006/टेली/टीएन/1

\*\*\*\*\*

2014-15 के बजट में की गई घोषणाओं का अनुपालन करने के लिए गाड़ियों में मार्गरक्षण करने वाले रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को सीयूजी सुविधा प्रदान करने पर विचार किया गया और प्रत्येक रेलवे की आवश्यकता, जिसका उल्लेख संबंधित रेलवे द्वारा किया गया है, के आधार पर रेलवे वार निम्नानुसार वितरण के लिए 4000 सीयूजी सिम मुहैया कराए जाने हैं।

क्रम सं.	रेलवे	स्वीकृत की गई सिमों की संख्या	क्रम सं.	रेलवे	स्वीकृत की गई सिमों की संख्या
1	पश्चिम रेलवे	570	9	पूर्वतट रेलवे	150
2	उत्तर रेलवे	520	10	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	120
3	पूर्व रेलवे	150	11	पूर्वोत्तर रेलवे	210
4	उत्तर पश्चिम रेलवे	140	12	मध्य रेलवे	600
5	उत्तर मध्य रेलवे	410	13	पश्चिम मध्य रेलवे	100
6	दक्षिण पूर्व रेलवे	100	14	दक्षिण मध्य रेलवे	250
7	दक्षिण रेलवे	180	15	पूर्व मध्य रेलवे	250
8	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	100	16	दक्षिण पश्चिम रेलवे	150

कुल जोड़ = 4000

...2/-

2. इन सीयूजी सिमों में ₹ 300 (तीन सौ रुपये) की मासिक अधिकतम सीमा के साथ नेशनल रोमिंग (प्लान 'बी') की सुविधा होगी।
3. उपर्युक्त सीयूजी सिमों के लिए व्यय तटस्थता (Expenditure neutrality) अपेक्षित नहीं होगी।
4. इस योजना के कार्यान्वयन के 6 माह के पश्चात् संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा इसकी क्षमता और अपेक्षित सुधार, यदि कोई हो, को जांचने के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी।
5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति प्राप्त है।
6. कृपया पावती दें।



(हरीश पवारिया)

निदेशक/ दूरसंचार


ई मेल: [dtele@rb.railnet.gov.in](mailto:dtele@rb.railnet.gov.in)

दूरभाष 011-23388504

सं.2010/टेली/11(2)/2

नई दिल्ली, दिनांक 29/09/2014

- प्रतिलिपि प्रेषित: 1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, (80 अतिरिक्त प्रतियों सहित)



कृते वित्त आयुक्त/ रेलवे